

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक -रीडर/ 2022/ 602

दिनांक :- 29/7/2022

मुकदमा नंबर 176/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नारणाराम पुत्र गोद पुत्र पदमाराम 2. मेहाराम पुत्र गोमाराम 3. मगाराम पुत्र गोमाराम 4. जोधाराम पुत्र हरजीराम 5. विश्वाराम पुत्र हरजीराम 6. जीवणाराम पुत्र हरजीराम 7. तेजाराम पुत्र हरजीराम 8. हरखाराम पुत्र करनाराम जाति जाट निवासीयान मूलजी की ढाणी (जानियाना) तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)		1. धर्माराम पुत्र जेहाराम 2. हेमाराम पुत्र जेहाराम 3. भलाराम पुत्र जेहाराम 4. चुतराराम पुत्र जेहाराम 5. घनश्याम पुत्र मोटाराम 6. नारणाराम पुत्र मोटाराम 7. पूरोदेवी पत्नी घमण्डाराम पुत्रवधु लाधुराम 8. भीयाराम पुत्र पदमाराम 9. घमण्डाराम पुत्र जेहाराम 10. सुखदेव पुत्र हरखाराम 11. रूखमोदेवी पत्नी नवलाराम 12. वेहनाराम पुत्र किरताराम 13. हीमथाराम पुत्र हेमराजराज सभी जातियान जाट निवासीयान मूलजी की ढाणी (जानियाना) तह0 पचपदरा जिला बाडमेर । 14. राजस्थान सरकार जरीये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

आदेश

दिनांक :- 29.7.2022

उपर्युक्त प्रकरण मौजा मूलजी की ढाणी पटवारी क्षेत्र जानियाना भू-निरीक्षक क्षेत्र कनाना तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 137/52 रकबा 46-06 बीघा, खसरा संख्या 138/52 रकबा 39-04 बीघा, खसरा संख्या 186/52 रकबा 01 बीघा व खसरा संख्या 139/52 रकबा 46-06 बीघा, खसरा संख्या 140/52 रकबा 23-03 बीघा, खसरा संख्या 147/52 रकबा 23-03 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी) -
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

दिनांक :- 29/7/22

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 603

प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा